न्यूज़ टुडे

उद्यम पोर्टल के अनुसार, भारतीय MSME क्षेत्रक ने पिछले 15 माह में लगभग 10 करोड़ रोजगार पैदा किए हैं

- उद्यम पोर्टल की शुरुआत **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय** ने की है। इसे **उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के रूप में पंजीकृत व वर्गीकृत** करने के लिए शुरू किया गया है।
- **MSME क्षेत्रक की स्थिति**
  - **पंजीकृत MSMEs में उच्च वृद्धि:** इनकी संख्या अगस्त 2023 के 2.33 करोड़ से बढ़कर **5.49 करोड़** हो गई है।
  - **रोजगार में वृद्धि:** MSME क्षेत्रक में रोजगार 13.15 करोड़ से बढ़कर **23.14 करोड़** हो गया है। इनमें से **5.23 करोड़ नौकरियां महिलाओं** को मिली हैं।
- **MSME क्षेत्रक का महत्त्व**
  - **अर्थव्यवस्था:** MSME क्षेत्रक भारत की **GDP में लगभग 30% का योगदान** देता है। भारत के **कुल निर्यात में इस क्षेत्रक का हिस्सा लगभग 46% है।**
  - **क्षेत्रीय विकास:** यह क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियों का **विकेंद्रीकरण** करता है और ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देता है।
  - **विविधीकरण:** यह अलग-अलग क्षेत्रकों में परिचालन करके एक ही उद्योग पर निर्भरता को कम करता है।
  - **बड़े पैमाने के उद्योगों का समर्थन:** MSMEs **बड़े उद्योगों के लिए विशेष उत्पाद और सेवाएं** प्रदान करते हैं। इससे बड़े उद्योगों के उत्पादन में **मूल्यवृद्धि** होती है।
- **MSME क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम**
  - **जमानत-मुक्त ऋण:** MSMEs अब क्रेडिट गारंटी योजना के तहत **85% गारंटी कवरेज के साथ 50 करोड़ रुपये तक का ऋण प्राप्त** कर सकते हैं।
  - **विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक के लिए वर्गीकरण में सुधार:** इससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक के बीच के अंतर को दूर करने में मदद मिली है। साथ ही, इससे टर्नओवर का एक नया मानदंड लागू हुआ है।
  - **सार्वजनिक खरीद नीति:** इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी **कुल वार्षिक खरीद का 25% हिस्सा सूक्ष्म और लघु उद्यमों से ही खरीदें।**
  - **पी.एम. विश्वकर्मा योजना:** इस योजना का उद्देश्य **पारंपरिक कर्मकारों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान** करना तथा उन्हें घरेलू एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।
- **भारत में MSME क्षेत्रक के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं**
  - औपचारिकीकरण और समावेशन का अभाव,
  - किफायती ऋण और पूंजी तक सीमित पहुंच,
  - प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच की कमी,
  - अवसंरचनात्मक बाधाएं आदि।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा

पैरामीटर्स	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
प्लांट और मशीनरी में निवेश	1 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक	50 करोड़ रुपये तक
वार्षिक टर्नओवर	5 करोड़ रुपये तक	10 करोड़ रुपये तक	250 करोड़ रुपये तक

केंद्र सरकार ने दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 अधिसूचित किए

- सरकार ने ये नियम **दूरसंचार अधिनियम, 2023** के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके और **मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या में अनधिकृत हेरफेर की रोकथाम नियम, 2017 की जगह** जारी किए हैं।
- **दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर**

इन नियमों के तहत **दूरसंचार साइबर सुरक्षा, दूरसंचार संस्था, सुरक्षा घटना जैसी शब्दावलियों को परिभाषित** किया गया है।

- **डेटा का संग्रह, साझाकरण और विश्लेषण:** केंद्र सरकार या नामित एजेंसी किसी दूरसंचार संस्था से **ट्रैफ़िक डेटा और कोई अन्य डेटा मांग** सकती है तथा उन्हें कानून प्रवर्तन व दूरसंचार संस्थाओं के साथ साझा कर सकती है।
  - साथ ही, केंद्र सरकार या नामित एजेंसी किसी दूरसंचार संस्था से विनिर्दिष्ट पॉइंट से इस प्रकार के डेटा का संग्रह करने और उसे उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक अवसंरचना एवं उपकरण स्थापित करने हेतु निर्देश दे सकती है। ये अवसंरचना और उपकरण डेटा की प्रोसेसिंग व भंडारण को सक्षम बनाएंगे।
- **दूरसंचार साइबर सुरक्षा से संबंधित दायित्व:-**
  - **व्यक्तियों के लिए**
    - कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई संदेश न तो प्रसारित करेगा और न ही भेजेगा जो दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो।
  - **दूरसंचार संस्थाओं के लिए**
    - दूरसंचार संस्थाओं को ऐसी **दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति** विकसित करनी होगी व अपनानी होगी, जिसमें-
      - दूरसंचार साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्य, प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रणाली और प्रौद्योगिकी शामिल होंगे।
    - दूरसंचार साइबर सुरक्षा घटनाओं, घुसपैठ आदि के लिए **सुरक्षा संचालन केंद्र (SOCs)** स्थापित करने होंगे।
    - संस्थाओं को अनिवार्य रूप से **मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी (CTSO)** की नियुक्त करनी होगी, जिसका विवरण केंद्र सरकार को दिया जाएगा।
- **सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग:**
  - किसी दूरसंचार कंपनी को प्रभावित करने वाली किसी सुरक्षा संबंधी घटना के घटित होने पर **कंपनी ऐसी घटना के 6 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को इसकी रिपोर्ट** करेगी।
  - इसके अलावा, 24 घंटे के भीतर इसके साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत करने होंगे-
    - सुरक्षा संबंधी घटना से प्रभावित यूज़र्स की संख्या; सुरक्षा घटना की अवधि; प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र; दूरसंचार नेटवर्क व सेवा की कार्यप्रणाली पर प्रभाव; आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव; तथा प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय।

पारिभाषिक शब्दावली

- **दूरसंचार साइबर सुरक्षा:** इसमें दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की साइबर सुरक्षा शामिल है। इसमें उपकरण, नीतियां आदि शामिल हैं। इनका उपयोग साइबर परिवेश में प्रासंगिक सुरक्षा जोखिमों के खिलाफ दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।
- **दूरसंचार संस्था:** इसका अर्थ है प्राधिकृत कंपनी या प्राधिकार की आवश्यकता से छूट प्राप्त व्यक्ति सहित दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने अथवा दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, उसका परिचालन, रखरखाव या विस्तार करने वाला कोई व्यक्ति।
- **सुरक्षा घटना:** इसका अर्थ ऐसी घटना से है, जिसका दूरसंचार साइबर सुरक्षा पर वास्तविक या संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

वित्त मंत्री ने इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय गिग फर्मों में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां बनने की क्षमता है

- वित्त मंत्री ने देश में विकसित हो रहे **स्टार्ट-अप्स और गिग इकोनॉमी के संदर्भ में भारत की नवाचार क्षमताओं को रेखांकित** किया। उन्होंने कहा कि इन उपक्रमों का उपयोग **"ब्रांड इंडिया"** स्थापित करने के लिए किया जा सकता है।
- **गिग अर्थव्यवस्था क्या है?**
  - इसकी विशेषता है- कार्य-आधारित, छोटे-छोटे हिस्सों में किया गया कार्य।
  - **विशेषताएं:** अस्थायी अल्पकालिक अनुबंध, कामगारों को उनकी सुविधा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता, डिजिटल श्रम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मध्यस्थता आदि।
  - **भारत में स्थिति**
    - नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020-2021 में भारत में लगभग 77 लाख कामगार गिग इकॉनमी में लगे हुए थे। ऐसी उम्मीद है कि यह संख्या **2029-30 तक बढ़कर 2.35 करोड़** हो जाएगी।
  - **गिग अर्थव्यवस्था में अवसर:**
    - शहरीकरण की बढ़ती गति के साथ **भारतीय बाजार तेजी से बढ़** रहे हैं।
    - भारत में मध्यम वर्ग की उपभोग संबंधी मांगों में वृद्धि के साथ-साथ **अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाएं भी बढ़** रही हैं।
    - व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार **कामगारों के एक आकांक्षी वर्ग की उपलब्धता।**
    - डिलीवरी और ई-कॉमर्स में **व्यापक वृद्धि एवं विविधीकरण की संभावना।**
  - **इस क्षेत्रक के समक्ष मौजूद चुनौतियां**
    - सामाजिक सुरक्षा का अभाव; नियोजन संबंधी अनिश्चितता व शोषण; कामगारों की कानूनी स्थिति का अभाव; गिग वर्कर्स की परिभाषा में अस्पष्टता; प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के कारण कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां आदि।
- **गिग वर्कर्स के हित में उठाए जा सकने योग्य कदम**
  - **नियोक्ता और व्यावसायिक सदस्यता संगठनों (EBMOs) की भूमिका:** EBMOs सामाजिक संवाद को आकार देकर और चुनौतियों का समाधान करके गिग अर्थव्यवस्था में भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को श्रम नीतियों पर चर्चा एवं वार्ता करने के लिए एक साथ लाकर "सामाजिक संवाद को सुविधाजनक बनाता है तथा सतत विकास व श्रमिक सुरक्षा के लिए नीतियों को आकार देता है"।
  - **प्लेटफॉर्म-आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देना:** वित्त-पोषण सहायता प्रदान करके प्लेटफॉर्म सृजन में तेजी लाने हेतु स्टार्ट-अप इंडिया की तर्ज पर प्लेटफॉर्म इंडिया पहल शुरू की जा सकती है। इसे नीति आयोग द्वारा समर्थन प्रदान किया जा सकता है।
  - **गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना:** उनके लिए सवैतनिक बीमारी अवकाश, बीमा आदि की व्यवस्था की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित कामगारों को वर्गीकृत एवं परिभाषित किया गया है। साथ ही, औपचारिक रूप से उनके अस्तित्व को मान्यता दी गई है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पर गिग व प्लेटफॉर्म कामगार भी पंजीकृत हो सकते हैं।
- **ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** ONDC वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की प्रथम पहल है। इसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना है तथा इसे प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से ओपन नेटवर्क में बदलना है।

रूस ने यूक्रेन के नीपर में अपनी नई इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) "ओरेशनिक" दागी

- ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल **रूसी अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)** के डिजाइन पर आधारित है।
  - हाइपरसोनिक मिसाइलें न्यूनतम **मैक-5 की गति यानी ध्वनि की गति से पांच गुना गति** से उड़ सकती हैं।
- **बैलिस्टिक मिसाइल (BM) के बारे में**
  - **बैलिस्टिक मिसाइल** तय लक्ष्य तक वारहेड पहुंचाने के लिए **प्रक्षेप्य गति (प्रोजेक्टाइल मोशन)** का उपयोग करती है।
    - प्रक्षेप्य गति में मिसाइल को लांच करने के लिए इसे आरंभिक चरण में **रॉकेट बूस्टर के माध्यम से एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचाया** जाता है। इसके बाद बूस्टर अलग हो जाते हैं और मिसाइल **गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर तेजी से गिरते हुए लक्ष्य पर हमला** कर देती है।
      - इस तरह यह भौतिकी के नियम यानी **गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपने जमीनी लक्ष्य की ओर उतरती हुई हमला करती है।**
    - इसके विपरीत, **क्रूज मिसाइलों को अपनी पूरी उड़ान के दौरान ऊर्जा की जरुरत** पड़ती है। ये **मिसाइलें उड़ान के दौरान वायुमंडल में ही कम ऊंचाई पर बनी** रहती हैं। इस तरह **लक्ष्य पर सटीक तरीके से और निर्देशित हमले** करती हैं।
  - बैलिस्टिक मिसाइलें **परमाणु या पारंपरिक वारहेड लेकर** उड़ान भर सकती हैं।
- **भारत की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताएं**
  - **एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):** इस कार्यक्रम के तहत **पृथ्वी, अग्नि जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें** विकसित की गई हैं।
  - **सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइलें:** इनमें **धनुष, K-15 सागरिका और निर्माणाधीन K-4** जैसी मिसाइलें शामिल हैं।
  - **बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली:** इनमें **पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD) मिसाइल, एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD) मिसाइल और लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल प्रणाली शामिल** हैं।
- **मिसाइल विकास को विनियमित करने वाली संधियां**
  - **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR):** इसका गठन 1987 में हुआ था। यह राष्ट्रों की एक **अनौपचारिक राजनीतिक व्यवस्था** है। इसके सदस्य वैसे देश हैं, जो **मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित** करना चाहते हैं।
  - **बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध हेग आचार संहिता (HCOC):** यह 2002 में अपनाई गई थी। यह संहिता **सामूहिक विनाश के हथियार (WMD) दागने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार** को रोकती है।

बैलिस्टिक मिसाइलें और उनकी रेंज

मिसाइल का नाम	रेंज
टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल (TBM)	300 किलोमीटर से कम
शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM)	300-1000 किलोमीटर
मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM)	1000-3500 किलोमीटर
इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM)	3500 -5500 किलोमीटर
इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)	5500 किलोमीटर से अधिक

"ट्रेडिंग विद इंटेलिजेंस: हाउ AI शेप्स एंड इज़ शेप्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई

- यह रिपोर्ट **विश्व व्यापार संगठन** (WTO) ने जारी की है। यह रिपोर्ट **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संबंधी व्यापार को सुविधाजनक** बनाने में WTO की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण करती है।
  - इसके अलावा, यह रिपोर्ट **AI के कारण उभरने वाले प्रमुख व्यापार-संबंधी नीतिगत सरोकारों, तथा वैश्विक व्यापार के साथ इसके अभिसरण** की जांच करती है।
- **व्यापार पर AI के प्रभाव**
  - **विखंडित विनियम:** अलग-अलग देशों में AI **विनियमन** के तरीकों में अंतर MSMEs के लिए व्यापार के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
  - **उद्योग का संकेंद्रण: बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और कंपनियों** में AI प्रौद्योगिकी के विकास व नियंत्रण का संकेंद्रण महत्वपूर्ण व्यापार विभाजन पैदा करता है।
  - **डेटा गवर्नेंस संबंधी चुनौतियां:** सीमा-पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **व्यापार में AI से अवसर**
  - **सीमा शुल्क समाशोधन प्रक्रियाओं, सीमा नियंत्रण और जोखिमों के पूर्वानुमान को स्वचालित एवं सुव्यवस्थित** करके व्यापार लागत में कमी लाई जा सकती है।
  - सार्वभौमिक AI अपनाने और उच्च उत्पादकता वृद्धि से **2040 तक वैश्विक वास्तविक व्यापार संवृद्धि में 14% की वृद्धि** की जा सकती है।
  - **AI सेवाओं में व्यापार के पैटर्न में बदलाव** ला सकता है। ऐसी सेवाओं में विशेष रूप से डिजिटल रूप से वितरित सेवाएं और मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भर सेवाएं शामिल हैं।
- **AI पर व्यापार का प्रभाव**
  - **बढ़ती लागत:** सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों पर प्रशुल्क, आवश्यक AI हार्डवेयर तक पहुंच और लागत को प्रभावित करते हैं।
  - **सीमा-पार प्रतिबंध:** विशेषज्ञों और डेटा दोनों की आवाजाही पर प्रतिबंध AI नवाचार एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
  - **संधि प्रावधान:** क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में शामिल व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता से संबंधित प्रावधानों का AI में डेटा उपयोग पर प्रभाव पड़ता है।

AI और व्यापार के अभिसरण के लिए WTO की भूमिका

- WTO समझौतों में पारदर्शिता संबंधी प्रावधानों और रचनात्मक संवाद के माध्यम से **वैश्विक अभिसरण को बढ़ावा** देने का प्रयास किया गया है।
- **AI विकास को बढ़ावा देना:** जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस (GATS) AI के विकास और उसे आगे बढ़ाने की सुविधा प्रदान करता है।
- WTO ने गैर-भेदभाव सिद्धांत और **व्यापार-संबंधित निवेश उपायों** (TRIMS) पर समझौते के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय नकारात्मक प्रभाव को कम** किया है।
- इसके अलावा, WTO विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष और विभेदक उपचार तथा तकनीकी सहायता के जरिए **समावेशन को बढ़ावा** दे रहा है।

विश्व बैंक ने "जॉब्स एट योर डोरस्टेप" रिपोर्ट जारी की

- यह अध्ययन "**स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स**" (STARS) कार्यक्रम के तहत किया गया है।
  - यह **कौशल में कमी पर विश्लेषण** है। यह रिपोर्ट वास्तव में जिलों में स्थित स्कूलों में चलाए जा रहे कौशल पाठ्यक्रम और उसी जिले में स्थित उद्योगों की कौशल संबंधी मांग की आवश्यकता का विश्लेषण करती है।
- **STARS कार्यक्रम के बारे में**
  - यह **विश्व बैंक** द्वारा समर्थित **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इस योजना को **2020** में मंजूरी दी गई थी। इसे अगले पांच वर्षों में यानी **वित्त वर्ष 2024-25** तक क्रियान्वित किया जाना है।
  - यह योजना **6 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल)** में क्रियान्वित की जा रही है।
  - इसका उद्देश्य **स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और गवर्नेंस में सुधार** करना है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा, लर्निंग का आकलन, शिक्षक के प्रदर्शन, स्कूल से रोजगार प्राप्ति की ओर **कदम और विकेन्द्रीकृत प्रबंधन** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - यह योजना **समग्र शिक्षा योजना** के अनुरूप है। साथ ही, यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (NEP) **2020 के प्रमुख सिद्धांतों** को भी लागू करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**
  - **स्कूल में कौशल विकास** वास्तव में **सेवा क्षेत्रक में रोजगार और कृषि आय में वृद्धि** के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है।
  - स्कूलों को **14 क्षेत्रकों और इससे संबंधित ट्रेड्स** पर कोर्स चलाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें **रोजगार की अधिक मांग** है। इन क्षेत्रकों में **इलेक्ट्रॉनिक्स व हार्डवेयर, ब्यूटी एवं वैलनेस, स्वास्थ्य देखभाल सेवा, फैशन** आदि शामिल हैं।
  - **भारत में कौशल विकास में अंतर की मुख्य वजहें निम्नलिखित हैं:**
    - रोजगार योग्य कौशल की कमी है- जैसे कि डिजिटल साक्षरता की कमी, समस्या समाधान क्षमता की कमी आदि।
    - उद्योग जगत की मांग के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स का न होना, आदि।

रोजगार योग्य क्षमता में सुधार के लिए सुझाए गए उपाय

- अधिक से अधिक विद्यालयों में **कौशल शिक्षा शुरू** की जानी चाहिए तथा **कौशल केंद्रों की स्थापना** करनी चाहिए।
- **स्थानीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तथा मौजूदा कौशल क्षमता के आधार पर स्कूलों में कौशल कोर्स** शुरू करने चाहिए।
- लर्निंग के लिए **अवसंरचना में सुधार** करना चाहिए और **सुविधा केंद्रों को अपग्रेड करना** चाहिए। साथ ही, रोजगार अनुभव हेतु प्रायोगिक लर्निंग को भी बढ़ावा देना चाहिए।
- **कौशल दक्षता के परीक्षण के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को मजबूत** करना चाहिए तथा उद्योग के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए।

अन्य सुर्ख़ियां

राज्य में संसदीय सचिव

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट** के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति के अधिकार को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
- **राज्य में संसदीय सचिवों के बारे में**
  - उन्हें **संसदीय कार्यों में मंत्रियों की सहायता** के लिए नियुक्त किया जाता है।
  - वे प्रायः **राज्य मंत्री का दर्जा रखते हैं, उनके समान अधिकार होते हैं तथा उन्हें सरकारी विभाग** सौंपा जाता है।
  - उल्लेखनीय है कि अलग-अलग हाई कोर्ट्स ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक माना है।
  - **नियुक्ति में समस्याएं:**
    - **संसदीय सचिवों** की नियुक्ति **भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के खिलाफ** है। ज्ञातव्य है कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान में **अनुच्छेद 164(1A) जोड़ा** गया था।
      - **अनुच्छेद 164(1A)** मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या को **राज्य विधान सभा सदस्यों के 15% तक सीमित** करता है।

सिस-रेगुलेटरी एलिमेंट्स (Cis-Regulatory Elements)

- शोधकर्ताओं ने नए **डीएनए स्विच्स** डिजाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया है। ये स्विच्स **अलग-अलग प्रकार की कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति को सटीक रूप से नियंत्रित** कर सकते हैं। इन स्विच्स को सिस-रेगुलेटरी एलिमेंट्स (CREs) भी कहा जाता है।
  - इस कदम से मानव स्वास्थ्य और अनुसंधान के लिए मानव शरीर में जीन कब और कहां अभिव्यक्त होंगे, इसे नियंत्रित करने की संभावना उत्पन्न होगी।
- **सिस-रेगुलेटरी एलिमेंट्स (CREs) के बारे में**
  - CREs स्वयं **जीन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि अलग विनियामक डीएनए अनुक्रम** हैं।
  - हालांकि, किसी जीव की **प्रत्येक कोशिका में समान जीन** होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोशिका में या हर समय **सभी जीनों की आवश्यकता नहीं** होती है। यही **जीन अभिव्यक्ति CREs द्वारा नियंत्रित** होती है।
  - CREs **सेलुलर पहचान, विकासात्मक प्रक्रियाओं और उत्तेजना संबंधी प्रतिक्रियाओं** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सी विजिल 24

- हाल ही में, एक प्रमुख **अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास, सी विजिल 24 का चौथा संस्करण** संपन्न हुआ।
- **सी विजिल 24 के बारे में**
  - **संचालन:** भारतीय नौसेना द्वारा।
  - **उद्देश्य:** समुद्री सुरक्षा, वायु रक्षा, नौसैनिक सहयोग और सामुदायिक सहभागिता।
  - **कवरेज:** भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और 2.4 मिलियन वर्ग कि.मी. विशेष आर्थिक क्षेत्र।
  - **फोकस क्षेत्र:** ऑयल रिग्स, केबल लैंडिंग स्टेशन और तट के किनारे गैर-महापत्तनों व परमाणु प्रतिष्ठानों जैसी महत्वपूर्ण समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा बढ़ाना, अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना आदि।

कोकिंग कोल

- **नीति आयोग** की एक शोध रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को अपने इस्पात क्षेत्रक की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए **कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल** करना चाहिए।
  - भारत एक **निवल (Net) इस्पात निर्यातक है,** लेकिन यह विश्व में **धातुकर्म कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक भी है।**
- **कोकिंग कोल के बारे में**
  - कोकिंग कोल **उच्च श्रेणी का बिटुमिनस कोयला है।** इसकी गुणवत्ता **धातुकर्म कोयला उत्पादन के लिए उपयुक्त** होती है।
  - ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोकिंग कोल को **उच्च तापमान पर गर्म करने से कोक उत्पन्न** होता है।
    - **लोहा एवं इस्पात उद्योग** में ब्लास्ट भट्टियों में **कोक का उपयोग ऊर्जा स्रोत और रासायनिक एजेंट (कार्बन स्रोत)** के रूप में किया जाता है।

किंग कोबरा

- **कर्नाटक किंग कोबरा** को आधिकारिक तौर पर **ओफियोफैगस कालिंगा** नाम दिया जाएगा। इसे स्थानीय तौर पर **'कालिंगा सर्प'** के नाम से जाना जाता है।
- **किंग कोबरा के बारे में**
  - **पर्यावास:** यह **भारत, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के घने जंगलों और मैदानों** में पाया जाता है।
  - **विशेषताएं:**
    - यह **सबसे लंबा विषैला सांप है,** जिसकी लंबाई 18 फीट तक होती है।
    - **जीवनकाल:** जंगल में लगभग 20 वर्ष।
    - **आहार: ठंडे रक्त वाले जानवर,** विशेष रूप से अन्य सांप।
    - **खतरे की मुद्रा:** वे अपने शरीर को जमीन से लगभग तीन से चार फीट (1 से 1.2 मीटर) ऊपर उठाते हैं। इस स्थिति में वे अपने शिकार का काफी दूर तक पीछा करने में सक्षम होते हैं।

संपीडित बायोगैस

- **मध्य प्रदेश के ग्वालियर** में अत्याधुनिक **संपीडित बायोगैस (CBG) संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक व आत्मनिर्भर गौशाला** का शुभारंभ किया गया।
  - यहां **मवेशियों के गोबर और कूड़े से बायोगैस** तैयार की जाएगी।
- **संपीडित बायोगैस (CBG) के बारे में**
  - **संरचना:** इसमें 90% से अधिक मीथेन (CH_4) होती है।
  - **स्रोत:** अवायवीय अपघटन के माध्यम से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त।
  - **हरित ईंधन:** इसका कैलोरी मान और अन्य गुण संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) के समान होते हैं। इसलिए, इसका उपयोग हरित नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
  - **अनुमानित क्षमता:** भारत में 62 मिलियन मीट्रिक टन।
  - **नीतिगत समर्थन:** CBG पर SATAT (वहनीय परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प) योजना, गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर-धन) योजना आदि।

पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture)

- **ओडिशा सरकार और ICRISAT** ने पुनर्योजी कृषि प्रथाओं को बढ़ाने के लिए **'पुनर्योजी कृषि का एक सार-संग्रह'** लॉन्च किया है।
- **पुनर्योजी कृषि के बारे में**
  - पुनर्योजी कृषि खेती का एक तरीका है, जो **मृदा के स्वास्थ्य** पर केंद्रित है।
  - **इसके प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - मृदा जुताई को कम करना, मृदा में CO_2 को बनाए रखना, और इसके जल अवशोषण में सुधार करना।
    - फसल विविधता को अधिकतम करने से जैव विविधता में सुधार होगा।
    - मृदा के आवरण को बनाए रखना, साल भर जीवित जड़ों को बनाए रखना और पशुधन को समेकित करना।
  - **महत्त्व:** फसल की पैदावार में सुधार होता है; मृदा की जल प्रतिधारण क्षमता बढ़ती है, मृदा के कटाव और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी होती है आदि।

मीरकैट (MeerKAT) टेलीस्कोप

- **खगोलविदों ने कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन सर्वे (COSMOS) के क्षेत्र में विशाल रेडियो आकाशगंगाओं की जांच** के लिए मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया है।
- **मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप के बारे में**
  - **अवस्थिति: दक्षिण अफ्रीका** के उत्तरी केप प्रांत में।
  - **विशेषताएं:**
    - इसमें **रेडियो टेलीस्कोप्स की एक जुड़ी हुई श्रृंखला** शामिल है।
    - इसमें **64 अंतर-संबद्ध रिसेप्टर्स** होते हैं, जिनमें मुख्य रिफ्लेक्टर, सब-रिफ्लेक्टर, रिसीवर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।
  - **लाभ:** अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता, देखने का विस्तृत क्षेत्र और अभूतपूर्व इमेजिंग क्षमताएं।
  - यह **स्क्वायर किलोमीटर एरे (SKA) टेलीस्कोप के मध्य-आवृत्ति घटक** का एक अग्रगामी उपकरण है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

गुयाना (राजधानी: जॉर्जटाउन)

- हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री ने गुयाना की यात्रा की और **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विविध समझौतों** पर हस्ताक्षर किए।
  - यह **कैरिकॉम (कैरेबियन समुदाय) और राष्ट्रमंडल का सदस्य** है।
- **गुयाना के बारे में**
  - **भौगोलिक अवस्थिति:**
    - **अवस्थिति:** गुयाना **दक्षिण अमेरिका के उत्तर-पूर्वी तट** पर अवस्थित है।
    - **सीमावर्ती राष्ट्र:** इसके पूर्व में **सूरीनाम,** दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में **ब्राजील,** तथा पश्चिम में **वेनेजुएला** स्थित है।
    - **सीमावर्ती जल निकाय:** अटलांटिक महासागर।
  - **भौगोलिक विशेषताएं**
    - **प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं:** अकाराई पर्वत श्रेणी, पकारैमा पर्वत श्रेणी, कनुकु पर्वत श्रेणी आदि।
    - **सबसे ऊँचा स्थान:** माउंट रोराइमा।
    - **प्रमुख नदियां:** कौरनटाइन, बर्बिस, डेमेरारा, एस्सेक्विबो आदि।

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची